

परिशिष्ट-दो

प्रपत्र-2

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 के नियम-17 के उपनियम (5) को देखें।

कार्यालय-जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा0शि0) हरिद्वार।

पत्रांक : मान्यता (बे0)/आर0टी0ई0/ 8306-10

/2019-20

दिनांक 25/2/2020

सेवा में,

अध्यक्ष/प्रबन्धक/संस्थापक,
सेन्ट मैरी स्कूल, ज्वालापुर
विकासखण्ड - बहादुराबाद
जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड।

विषय: निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम 17 में उपनियम (5) के अर्न्तगत विद्यालय की मान्यता का प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गये निरीक्षण के आलोक में मान्यता समिति के बैठक दिनांक 20.02.2020 में लिये गये निर्णयानुसार आपके विद्यालय, सेन्ट मैरी स्कूल, ज्वालापुर, विकासखण्ड बहादुराबाद जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड को कक्षा 01 से 08 तक (अंग्रेजी माध्यम) की विद्यालय संचालन हेतु पांच वर्षों दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2025 तक अवधि के लिये स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रदत्त स्वीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन में अधीन होगी-

1. मान्यता किसी भी परिस्थिति में कक्षा-8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा-1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर एवं वंचित समुदाय के बच्चों का करेगा तथा उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिये भी किया जायेगा।
4. उपरोक्त कम संख्या-3 पर वर्णित बच्चों के मामले में विद्यालय को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी। प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि की प्राप्ति के लिये विद्यालय अलग से बैंक खाता का संचालित करेगा।
5. संस्था/विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का व्यक्तिगत अनुदान/कैपिटेशन शुल्क प्राप्त नहीं किया जायेगा तथा किसी भी बच्चे की परीक्षा या उसके माता-पिता/अभिभावक का साक्षात्कार नहीं किया जायेगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसको आय प्रमाण पत्र, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद प्रवेश तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों से या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर मना नहीं करेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किये जायेंगे -
(एक) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जायेगा और न ही किसी नामांकित बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जायेगा;
(दो) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जायेगा;
(तीन) किसी भी बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिये किसी भी प्रकार की बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी;
(चार) प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चे को नियम 35 के उपनियम के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा
(छः) शिक्षकों की नियुक्ति अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) में उनके लिये निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जायेगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं, वे 5 वर्षों के अन्दर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे;
(सात) शिक्षक, अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (1) तथा नियमावली के नियम 31 में प्राविधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे, और
(आठ) शिक्षक, निजी-स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण-गतिविधि (ट्यूशन) में संलग्न नहीं होंगे।
8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम का अनुसरण करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्राविधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रूप में छात्रों का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मानदण्डों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवत् होगा-
 - विद्यालय-परिसर का क्षेत्रफल;
 - कुल निर्मित क्षेत्र;
 - खेल के मैदान का क्षेत्र;
 - कक्षा-कक्षों की कुल संख्या;


Principal
St. Mary's Sr. Sec. School
Jwalapur, Haridwar


Manager
St. Mary's Sr. Sec. School
Jwalapur, Haridwar

- प्रधानाध्यापक-सह-कार्यालय-सह-मंडार कक्षा;
 - बालक तथा बालिकाओं के लिये अलग-अलग शौचालय;
 - पेयजल की सुविधा;
 - मध्याह्न भोजन के लिये रसोई-घर;
 - बाधारहित पहुँच;
 - शिक्षण अधिगम सामग्री/खेल-कूद उपकरण/पुस्तकालय की उपलब्धता।
11. इस मान्यता द्वारा केवल स्वीकृत परिसर में ही विद्यालय संचालित किया जायेगा। विद्यालय के नाम से अन्य कहीं विद्यालय संचालित नहीं होगा।
 12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनायें अथवा मैदान का उपयोग केवल शैक्षिक गतिविधियों हेतु किया जायेगा। इस भवन/संरचना या मैदान का उपयोग किसी प्रकार के व्यावसायिक कार्य हेतु नहीं किया जायेगा।
 13. विद्यालय सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबन्धित सोसाइटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।
 14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये संचालित नहीं होगा।
 15. लेखा का अंकेषा एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के द्वारा किया जायेगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपयुक्त लेखा विवरणी तैयार की जायेगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष मुख्य शिक्षा अधिकारी को भेजा जायेगी।
 16. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्य [६५४] है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धृत किया जाए।
 17. राज्य सरकार/मुख्य शिक्षा अधिकारी के द्वारा समय-समय पर माँगे गये प्रतिवेदन एवं सूचनायें, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से मान्यता की शर्तों की निरन्तर पूर्ति की सुनिश्चिता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से सम्बन्धित कठिनाइयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जायेगा।
 18. यदि सोसाइटी के पंजीकरण के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाये।
 19. परिशिष्ट-चार के रूप में संलग्न अन्य शर्तें।
 20. यदि विद्यालय द्वारा अधिनियम में दी गयी धाराओं की अवेहलना प्रमाणित होती है तो विद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह कि-

- 1- यह कि शासनादेश संख्या 588/XXUTV-3/17/01(11) 2017 के अनुपालन में जनपद के अन्तर्गत समस्त विद्यालय किसी भी छात्र/छात्रा के विद्यालय में प्रवेश हो जाने के उपरान्त प्रवेश शुल्क दोबारा न लिया जाये तथा कोशन मनी के नाम से कोई धनराशि न ली जाये साथ ही आपको निर्देशित किया जाता है कि यदि अभिभावकों/छात्र-छात्राओं से ऐसा कोई शुल्क लिया गया हो तो वांछित धनराशि अभिभावकों को तत्काल वापस की जाये।
- 2- पाठ्य पुस्तकें और गणवेश आदि विद्यालय प्रांगण में टेन्ट लगाकर नहीं बेची जायेंगी।
- 3- जिला परियोजना कार्यालय-सर्व शिक्षा अभियान हरिद्वार द्वारा उपलब्ध कराये गये "डायस" प्रपत्र को भरना अनिवार्य होगा।
- 4- विद्यालय का निरीक्षण मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०) हरिद्वार के द्वारा एक वर्ष के अन्दर किया जा सकता है आर०टी०ई० के मानक पूर्ण न होने पर मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।

भवदीय
(ब्रह्मपाल सिंह)
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)
हरिद्वार।

पू०सं० : मान्यता (बै०)/आर०टी०ई०/8306-10 /2019-20 दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार।
- 2- जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार।
- 3- जिला परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, हरिद्वार।
- 4- खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित विकासखण्ड जनपद हरिद्वार।

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)
हरिद्वार।

Principal
St. Mary's Sr. Sec. School
Jwalapur, Haridwar

Manager
St. Mary's Sr. Sec. School
Jwalapur, Haridwar

FORMAT OF CERTIFICATE TO BE ISSUED BY THE DISTRICT EDUCATION OFFICER IN RESPECT OF SCHOOLS ALREADY AFFILIATED WITH THE BOARD AND SEEKING EXTENSION/UPGRADATION OF AFFILIATION WITH THE CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(In accordance with School Safety Policy, 2016 issued by the NDMA, Manual on Safety and Security of Children in Schools developed by NCPDR and the National Building Code)

PART-A

(This part is to be filled-up by the school and to be produced before the District Education Officer along with all supporting documents and certificates in original)

GENERAL INFORMATION

1	Affiliation Number allotted by CBSE to the school:	3530029
2	Name of the School as per affiliation letter of CBSE:	St. Mary's Sr. Sec. School
3	Address of the School:	Jwalapur, Haridwar 249407 UK
4	Standard/level/class up to which the school is running:	Class I - XII
5	Is the name and address of school in CBSE affiliation letter and State NOC/Recognition/U-DISE same exactly the same	YES
6	U-DISE code allotted to the school:	05130112701
7	Name and address of the Trust/Society/ Company(under section-8) running the School as on date	NAV JYOTI EDUCATION SOCIETY
8	Is the Trust/Society/ Company duly registered with the competent registering authority and the registration is valid as on date?	YES
9	Purpose of present application:	EXTENSION BY CBSE
10	Location of school	Latitude 29.9310° N Longitude 78.1230° E (Coming under Municipal Board)

P. K. Kulkarni
Principal
St. Mary's Sr. Sec. School
Jwalapur, Haridwar

Z. J. J. J.
Manager
St. Mary's Sr. Sec. School
Jwalapur, Haridwar

P. K. Kulkarni
(Signature of Principal)

[Signature]
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रति शिक्षा)
(Signature of D.E.O.)



10	Has the school obtained Recognition Certificate from the State Government from class-1 to 8 th ?	yes
11	Number of Recognition Certificate from class-1 to 8 th and date of issue:	B/RTE/8306-10/ 2019-20
12	Is the School affiliated to any other board besides CBSE for Class-X or XII examinations?	NO
INFORMATION REGARDING LAND DETAILS AND OWNERSHIP		
13	Is the school situated on a single contiguous plot of land bounded on all sides by a Pucca Boundary Wall?	YES
14	Are both the School and the Play Ground situated in a single compound bounded by a single continuous Boundary Wall on all sides?	YES
15	Total area (in square meters) in respect of 13 and 14 above on which the school is situated:	20500 Sq. M.
16	The land is in the possession of the school/ Trust/Society/Company legally by way of:	SOCIETY by LEASE DEED
17	Name of the Owner/Lessee of the land in respect of point-16 above:	NAV JYOTI EDUCATION SOCIETY
18	In case the land is in the possession of the society/school by way of lease as per State Government norms, the period of the lease:	30 Years
19	Is any public road, canal or thorough-fare, HT line etc. passing through the land in respect of point-15 above?	NO
INFORMATION REGARDING ESSENTIAL SAFETY REQUIREMENTS		
20	Has the school been inspected by the Government engineer and the school building been found structurally safe for running a school?	YES
20(a)	If yes the date of last inspection:	26/12/2019
21	Has the school been inspected by the officer of Government Fire Department and the school building been declared safe for school from the point of view of fire safety?	YES
21(a)	If yes the date of last inspection:	10/07/2019
22	Has the school compound been checked by the public health department and the health and sanitary conditions been found to be satisfactory and the water has been found safe for drinking?	YES


Principal
St. Mary's Sr. Sec. School
Jwalapur, Haridwar

P. K. Kulkarni
(Signature of Principal)

Manager
St. Mary's Sr. Sec. School
Jwalapur, Haridwar

[Signature]
जिला शिक्षा अधिकारी (मा. शि.)
हरिद्वार
(Signature of D.E.O.)

22(a)	If yes the date of last inspection:	10/10/2019
INFORMATION REGARDING THE STAFF		
23	Does the school have well defined service rules and conditions for its employees as per prevalent norms of appropriate Government?	YES
24	Is the school paying salary to the teachers and other employees as per the norms of the appropriate Government?	YES
25	Is the salary to the teachers and other employees of the school being paid through the bank by mode of electronic clearing? (Payment by cheque or cash to the individuals is not allowed)	YES
26	Is the school paying EPF to the teachers and other employees as per the norms of the appropriate Government?	YES
 Manager St. Mary's Sr. Sec. School Jwalapur, Haridwar		Principal St. Mary's Sr. Sec. School Jwalapur, Haridwar
PART-B		
(This part is to be filled-up by the District Education Officer after verifying all supporting documents and certificates in original and visiting the school)		
File No..... Date of Issuance.....		
1	This is to certify that the information above, provided by the school has been verified on the basis of all supporting documents & certificates and visiting the school and the information has been found correct.	
2	Is the school recommended for extension/upgradation of affiliation?	
		 Signature (Name and Stamp of Issuing DEO) DISTRICT EDUCATION OFFICER/NAME OF DISTRICT जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा० शि०) हरिद्वार


Manager
St. Mary's Sr. Sec. School
Jwalapur, Haridwar


Principal
St. Mary's Sr. Sec. School
Jwalapur, Haridwar
 (Signature of Principal)

(Signature of D.E.O.)